न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुनिदेव यादव (आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 34/21 (223 आर0 टी0 एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2021/104

उनवान

1. भजनबाई पत्नी देवीप्रसाद
2. सतीश पुत्र देवीप्रसाद

} जाति मीणा निवासीगण ग्राम पदमपुरा तहसील सरमथुरा जिला धौलपुर।

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. सोनू
2. संजय
3. शिवकुमारी
4. सुमन
5. वंदना
6. रिंकी

} पिस0 हरीराम

7. रामजीलाल पुत्र ल्होका

} जाति बाढई निवसीगण सानीपाडा सरमथुरा तहसील सरमथुरा जिला धौलपुर।

8. अमराबाई पुत्री ल्होका पत्नी गोपाल जाति बाढई निवासी ग्राम मौहारी मदनपुर तहसील सरमथुरा जिला धौलपुर।

..... असल रेस्पोडेण्ट

9. सुगनलाल पुत्र गिरवर (फौत)
10. रामकटोरी वेवा चिरौंजी
11. विनोद
12. राहुल
13. अंजना
14. ममता
15. समिला

} पिस0 हरीचरन

16. शिवदयाल
17. ओमी
18. भगवानदास

} पुत्रगण चिरौंजी

} जाति बाढई नि0 ग्राम कौनेसा तह0 सरमथुरा, धौलपुर।

19. शकुंतला पुत्री चिरौंजी पत्नी नैमीचन्द जााति बाढई निवासी ग्राम मावली(बडापुरा) तहसील मासलपुर जिला करौली।
20. कम्पूरी पुत्री ल्होका पत्नी जगराम जाति बाढई निवासी जौरा रोड बीज मिल के पास मुरैना म0प्र0।
21. देवीचरन पुत्र शंकर जाति मीणा निवासी मदनपुर तहसील सरमथुरा जिला धौलपुर।
22. अति0 तहसीलदार सरमथुरा।

..... तरतीवी रेस्पोडेण्ट

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

भू-प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बसेडी दिनांक 30.11.2007 प्र0स0 128/2004 उनवान हरीराम बनाम सुगनलाल।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट श्री निशान्त भार्गव उपस्थित।
2. रैस्पो0 अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 29.08.2024

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बसेडी के निर्णय दिनांक 30.11.2007 के विरूद्ध पेश की गई है। अपील के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी असल रैस्पो0 द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी अपीलाण्ट एवं तरतीवी रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम सरमथुरा नम्बर 2 तहसील बसेडी जिला धौलपुर में स्थित है, के खातेदार काश्तकार गुटई, ल्होका, चिरौंजी, सुगनलाल तथा फूसिया वहिस्सा बराबर के थे। गुटई संवत 2019 में लाबल्द फौत हो गया, उसकी विरासत उसके चारो भाईयो ने प्राप्त की तथा वह प्रत्येक 1/4–1/4 भाग के खातेदार हुये। दौराने बंदोबस्त चिरौंजी, सुगनलाल, तथा फूसिया ने साजिश कर ल्होका का नाम राजस्व अभिलेख से विलोपित करा दिया। संवत 2038 में फूंसिया भी लाबल्द फौत हो गया। उसके हि उसके भाई ल्होका, चिरोंजी तथा सुगनलाल पर प्रकांत हुये तथा वह प्रत्येक 1/3–1/3 भाग के खातेदार कृषक हुये। संवत 2045 में ल्होका का भी निधन हो गया उसकी विरासत वादीगण असल रैस्पो एवं प्रतिवादी तरतीवी रैस्पो0 संख्या 20 पर प्रकांत हुयी। परन्तु विवादित आराजी पर चिरौंजी, सुगनलाल तथा फूंसिया का नाम चलने के कारण चिरौंजी व सुगनलाल ने विवादित आराजी में से 2/3 भाग का वयनामा प्रतिवादी अपीलाण्ट व तरतीवी रैस्पो0 संख्या 21 को कर दिया, जो गलत है। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी में स्वयं को 1/3 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.11.2007 से डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पो0 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलव किया गया। रैस्पो0 बाबजूद सूचना न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये। अतः उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।
3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित कथनो को दोहराते हुये, कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। यह हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट पर किसी भी सम्मन का निर्वहन नहीं हुआ। अतः अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष रखने के लिये कोई अवसर नहीं मिला। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने विक्रेतागण चिरौंजी व सुगनलाल को पुनः 1/12–1/12 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित करने में भूल की है। जबकि वह विवादित आराजी में अपने सम्पूर्ण भाग को पूर्व में ही अपीलाण्ट को विक्रय कर चुके थे। अतः विक्रेताओ के वारिस

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

को अपीलाण्ट की जमीन काट कर नहीं दे सकते हैं। दावा भी मृतक व्यक्ति के विरूद्ध डिक्री किया है। अपीलाण्ट देवीप्रसाद के वारिस हैं। तहसीलदार को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. हमने बहस अपीलाण्ट पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। स्वयं वादीगण रैस्पो0 के अभिवचनो से स्पष्ट है कि फूंसिया व गुटई के लाबल्द मरने के बाद विवादित आराजी में ल्होका, चिरौंजी तथा सुगनलाल प्रत्येक 1/3–1/3 भाग के खातेदार काश्तकार हुये। अर्थात चिरौंजी व सुगनलाल कुल 2/3 भाग के खातेदार हुये एवं उक्त दोनों ने अपने 2/3 भाग को ही अपीलाण्ट व देवीचरन के लिये विक्रय किया है। इस प्रकार उन्होनें विवादित आराजी में से अपने सम्पूर्ण हिस्से को विक्रय कर दिया। परन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने विक्रेताओ के वारिसो को विवादित आराजी में 1/12–1/12 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित करने अपीलाण्ट के क्रय शुदा रकवे को कम करने में भूल की है। चूंकि अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई एवं अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं मिला है। अतः उपरोक्त विवेचनानुसार हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार करते हुये, अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं कि वह उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुये पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बसेडी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.11.2007 अपास्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये, पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। पक्षकारान को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 30.09.2024 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

6. निर्णय आज दिनांक 29.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर